



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD (यस्त्र मंत्रालय,

भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala

बेंगलूरु Bangalore - 560068

No.CSB-1 [1] / 2016 - 17 / Accts.


Dated : 01/04/2016

C I R C U L A R

Sub : Conferment of Temporary Status to Time Scale Farm Workers
of Central Silk Board : Booking of Expenditure - regarding.

With reference to the subject cited above, it is to inform that the competent authority has approved for conferring the Temporary Status to the non-litigant Time Scale Farm Workers / Skilled Farm Workers & those who have withdrawn the cases with effect from 01.07.2015. The expenditure towards payment of Wages & Arrears to the those Time Scale Farm Workers / Skilled Farm Workers of CSB to whom the Temporary Status has been conferred, are required to be met out from the **Non- Plan Budget allocation. Accordingly, the expenditure towards payment of Wages/Arrears to the TSFWs/SFWs to whom the Temporary Status has been conferred may be booked under the Non-Plan Budget/Funds allocated to units with effect from March, 2016 & onwards. In respect of other Skilled Farm Workers, the Wages may be continued to be booked under Plan-General head as is being done now.**

This may strictly be complied with by all the CSB units.


[R. SATHISH KUMAR]
DIRECTOR (FINANCE)

TO :



केन्द्रीय रेशम बोर्ड Central Silk Board

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)

(Ministry of Textiles - Govt. of India)

कें रे बो काम्प्लेक्स CSB Complex

बी टी एम लेआऊट, मडिवाला BTM Layout, Madiwala

बेंगलूरु Bangalore - 560 068

सं.केरेबो-1[1]/2016-17/लेखा

दिनांक: 01.04.2016

परिपत्र

विषय:- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के समयमान फार्म कार्मिकों को अस्थायी स्टैटस प्रदान करने : व्यय बुक करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह सूचित करना है कि सक्षम प्राधिकारी ने गैर-वादी समयमान फार्म कार्मिकों/कुशल फार्म कार्मिकों तथा उन्हें, जिन्होंने वाद वापस लिया है, को 01.07.2015 से अस्थायी स्टैटस प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया है । केरेबो के उन समयमान फार्म कार्मिकों/कुशल फार्म कार्मिकों जिन्हें अस्थायी स्टैटस प्रदान किया गया है, को मजदूरी तथा बकाया के भुगतान के प्रति व्यय गैर-योजना बजट आबंटन से वहन किया जाना है । तदनुसार, उन समयमान फार्म कार्मिकों/कुशल फार्म कार्मिकों, जिन्हें अस्थायी स्टैटस प्रदान किया गया है, की मजदूरी तथा बकाया के भुगतान के प्रति व्यय को मार्च, 2016 से गैर-योजना बजट/एककों को आबंटित निधि से बुक किया जाए । अन्य कुशल फार्म कार्मिकों के मामले में मजदूरी को योजना-सामान्य शीर्ष के अंतर्गत बुक करना जारी रखा जाए, जैसाकि अभी किया जा रहा है ।

केरेबो के सभी एककों द्वारा इसका सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

ह-

(आर. सतीश कुमार)

निदेशक (वित्त)

सेवा में,